कार्यालय आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ.प्र.

(पूर्व नाम-भारतीय चिकित्सा परिषद, उ.प्र.)

'धन्वन्तरि भवन' 7-लालबाग, लखनऊ

पत्रांक 106/बोर्ड–निर्वाचन/20 लखनऊ दिनांक 21.01.2020

विज्ञप्ति

उ.प्र. इण्डियन मेडिसिन बोर्ड के चुनाव की नियमावली के नियम 12(1) के प्राविधानानुसार यू.पी. इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (4) (5) एवं (6) के अधीन बोर्ड के सामन्य निर्वाचन हेतु शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 6631/96–आयुष–1–2019–383/1997 दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 एवं उक्त अधिसूचना के क्रम में निर्गत शासन के पत्र संख्या 6805/96–आयुष–1–2019–383/1997 दिनांक 14 जनवरी, 2020 के अनुपालन में एक्ट 1939 की धारा–5 (1) के खण्ड (6) के अधीन निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्रानुसार दिनांक 14.01.2020 तक पंजीकृत वैद्य/हकीमों की सूची (मतदाता सूची) को अद्यतन किया जाना है।

अतः बोर्ड से पंजीकृत सभी आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों को सूचित किया जाता है कि जिन चिकित्सकों को अपने स्थाई पते/वर्तमान पते में संशोधन कराना है, वे बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप जो कि बोर्ड की वेबसाईट bimup.org में उपलब्ध है, को भरकर संलग्नकों सहित पंजीकृत/साधारण डाक/स्वयं अथवा बोर्ड की मेल आई.डी. bimupup@gmail.com के माध्यम से दिनांक 14.02.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे उनके स्थाई पते/वर्तमान पते का संशोधन पंजीयन अभिलेखों में किया जा सके।

यदि किसी आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सक द्वारा समयान्तर्गत अपने पते में परिवर्तन की सूचना नहीं दी जाती है तो यह समझा जायेगा कि उनके पते में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा तदनुसार बोर्ड के निर्वाचन हेतु वैद्य/हकीमों की सूची (मतदाता सूची) निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी।

डा. अखिलेश कुमार वर्मा

रजिस्ट्रार